

मीडिया ट्रायल

प्रलिस के लयल:

कंगरू कूरु, सीजेआई, अनुच्छेद 21 और 19, मूलकल अधकलर ।

मेनुस के लयल:

मीडलल टुरलल और इसके नहलतलरुथ ।

करुल में कुरुल?

हलल ही में [भरत के मुखुय नुयललधीश \(CJI\)](#) ने कलहल कल मीडलल एजेंडल संचललतल बहस और कंगरू कूरु चलल रहल है, जो लोकतंतुर के लयल उकतल नहलल है ।

कंगरू कूरु

- "कंगरू कूरु/समलनलंतर नुयलकल आपूरुतल प्रणलली" वलकुरलंश कल प्रयुग नुयलकल प्रणलली के खललल कलल जलतल है जहलँ अभवुकुत के खलललल नरुणुय आमतूर पर पूरुव नरुधरलतल हुतल है ।
- यह सुव-गठतल यल छदुम नुयलललय है, जसलल बनल कसलल पूरुव कतुन के नरुणुय देने के उदुदेशु से सुथलपतल कलल जलतल है और आमतूर पर आरुपी वुयकुतल के संदुरभ में फूसलल कलल जलतल है ।
 - यह अभवुकुतल ऑसुदुरेललल में देखल गई लेकनल इसे पहलल बलर अमेरकल में वरुष 1849 के कूलफुोरनलल गोलुड रश के दूरलन दरुज कलल गलल थल ।
- सुवयलत संघ में सुटलनल युग के दूरलन कंगरू कूरु आम धररणल थी, जो सुवयलत गुरेड परुज के "मलँसुकुल टुरललल" के रूड में प्रसदुध ।

मीडलल टुरलल:

- परकुरलल:
 - मीडलल टुरललल एक ऐसल वलकुरलंश है जो 20वीं सुदुी के अंत और 21वीं सुदुी कल शुरुआत में कसलल वुयकुतल कल प्रतषुठल पर टेलीवजलन और समलललर पतुरुल के कवरेज के प्रभलव कल वरुणन करुने हेतु कलनून कल अदललत में कसलल फूसले से पहले यल बलद में अपरलध यल बेगुनलही कल वुयलपक धररणल बनलने के लयल लोकप्ररुयल है ।
 - हलल के दनलल में ऐसे कई उदलहरण सलमने आए हलँ जनलमें मीडलल ने आरुपी के खलललल मीडलल टुरललल कर नुयलललय दवलरल फूसलल सुनलए जलने से पहले ही अपना फूसलल सुनल दलल ।
- संवधलनकलतल:
 - हललल कल मीडलल टुरललल शबुद कुल कही भी सीधे तूर पर परभलषतल नहल कलल गलल है लेकनल अपरुतुयकुष रूड से यह शकुतल भरत के संवधलन के [अनुच्छेद 19](#) के तहत मीडलल कुल प्ररुपुत है ।
 - भरत के संवधलन कल अनुच्छेद 19 प्ररुतुयके वुयकुतल कुल अभवुकुतल कल सुवतंतुरतल प्रदलन करतल है ।

मीडलल टुरललल के नहलतलरुथ:

- नुयलकल कलमकलज कुल प्रभलवतल करतल है:
 - नुयललधीशुल के खलललल संयुकुत अभयलन, वशलष रूड से सुशल मीडलल संचललतल और मीडलल टुरललल नुयलकल कलमकलज कुल प्रभलवतल करुते हलँ ।
 - नुयलललयुल में लंबतल मुदुदुल पर मीडलल में गैर-सूकतल, पकुषपलतपूरुण और एजेंडल संचललतल बहस नुयल वतलरुण कुल प्रभलवतल कर रहल है ।

- **नकली और असली में भेद न कर पाना:**
 - नए मीडिया उपकरणों में व्यापक वसतिार की कषमता है लेकनि वे सही और गलत, अचछे तथा बुरे एवं असली व नकली के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं ।
 - मीडिया ट्रायल मामलों को तय करने में एक मार्गदर्शक कारक नहीं हो सकता है ।
- **गलत वर्णन:**
 - मीडिया उन घटनाओं का वर्णन करने में सफल रहा है जनिहें गुप्त रखा जाना चाहयि ।
 - मीडिया परीक्षण कथति अभयुक्तों के गलत वर्णन का कारण बना है और इसने उनके कॅरियर को समाप्त करने का काम कयि है, केवल इस तथय से कवि आरोपी थे, भले ही उन्हें अभी तक न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो ।
- **लोकतंत्र के लयि अचछा नहीं:**
 - मीडिया ने अपनी ज़मिमेदारी का उल्लंघन करते हुए लोकतंत्र को पीछे ले जाने का काम कयि है तथा लोगों को प्रभावति कयि है और व्यवस्था को कषति पहुँचाई है ।
 - अभी भी प्रति मीडिया में कुछ हद तक जवाबदेही है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जवाबदेही शून्य है ।
- **नफरत और हिसा भडकाना:**
 - पेड न्यूज़ और फेक न्यूज़ जनता की धारणा में हेरफेर कर सकते हैं तथा समाज में वभिन्न समुदायों के बीच नफरत, हिसा एवं वैमनस्य पैदा कर सकते हैं ।
 - वस्तुनषिठ पत्रकारति का अभाव समाज में सत्य की झूठी प्रस्तुतकी ओर ले जाता है जो लोगों की धारणा और राय को प्रभावति करता है ।
- **एकांतता का अधिकार:**
 - वे हमारी नजिता पर आक्रमण करते हैं जो [अनुच्छेद 21](#) के तहत गारंटीकृत एकांतता के अधिकार के उल्लंघन का कारण बनता है ।

भारत में मीडिया वनियमन:

- भारत में मीडिया और मनोरंजन कषेत्र का नयितरण और वनियमन **केबल नेटवर्क अधनियम, 1995** तथा **प्रसार भारती अधनियम, 1990** में नहिति है । इन्हें **सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय** तथा **प्रसार भारती** द्वारा नयितरति कयि जाता है ।
- **मीडिया वनियमन के लयि भारत में चार नकिय हैं:**
 - **भारतीय प्रेस परिषद:** इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और भारत में समाचार पत्रों व समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना और उनमें सुधार करना है ।
 - **समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण:** यह न्यूज़ ब्रॉडकास्टरस एसोसिएशन (NBA) द्वारा स्थापति एक स्वायत्त नकिय है ।
 - **प्रसारण सामग्री शकियत परिषद:** यह सभी गैर-सामाचार समान्य मनोरंजन चैनलों से संबंधति शकियतों को देखने के लयि एक स्व-नयामक नकिय है ।
 - **न्यूज़ ब्रॉडकास्टरस एसोसिएशन (NBA):** यह नजि टेलीवजिन समाचार और समसायक घटनाओं के ब्रॉडकास्टरस का प्रतनिधित्व करता है ।

आगे की राह

- मीडिया को केवल पत्रकारति के कार्यों में संलग्न होना चाहयि और अदालत की एक वशिष एजेंसी के रूप में कार्य नहीं करना चाहयि ।
- यद्यपि मीडिया एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है और हमें एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ लोग समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हैं ।
- मीडिया को यह समझना चाहयि कियसकी भूमिका उन मुद्दों को उठाना है जनिका जनता सामना कर रही है । मीडिया उनकी आवाज़ बन सकता है जो अपनी बात नहीं रख सकते । मीडिया को फैसला नहीं सुनाना चाहयि क्योंकि भारत में इस उद्देश्य के लयि न्यायपालिका है ।
- मीडिया को अदालत के मामलों में दखल न देकर अपनी नैतिकता, सामाजिक ज़मिमेदारी और वशिषनीयता को बनाए रखना चाहयि ।

स्रोत: द हद्दि